न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/04/2024

श्री विश्वेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 महाराजा कर्नल सवाई श्री बृजेन्द्र सिंह जी साहिब निवासी मोती महल भरतपुर थाना मथुरा गेट भरतपुर हाल अस्थाई निवासी जवाहर फार्म भरतपुर पिन कोड– 321001

बनाम ....अपीलार्थी

1–श्रीमती दिव्या सिंह पत्नि श्री विश्वेन्द्र सिंह निवासी मोती महल भरतपुर,
2–श्री अनिरुद्ध सिंह आयु 34 वर्ष पुत्र श्री विश्वेन्द्र सिंह निवासी मोती महल भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 20–6–2024 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी, भरण पोषण भरतपुर ।

उपस्थित :–
1–श्री श्रीनाथ शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री जयदीप सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 27.09.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश 20–6–2024 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर के पेश की गई है। जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 एवं 23 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर के यहॉ पेश किया गया था। तहत न्यायालय अधिकरण ने उक्त अधिनियम के तहत याचिका के तथ्यों तथा तत्संबन्धित विधि का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन सम्पूर्ण आदेश criptic/non speaking है, जिसे निरस्त किये जाने एवं अपीलान्ट की याचिका स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर के यहॉ तहत पत्रावली तलब की गई। एस.डी.ओ. भरतपुर के पत्र क्रमांक न्याय/भ.पो./24/488दिनांक 19.7.24

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

से प्राप्त तहत पत्रावली को नत्थीबद्ध किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट **ने अपने कथनों में बताया** कि अपीलान्ट प्रार्थी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 एव 23 के तहत एक प्रार्थना उपखण्ड अधिकारी पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण भरतपुर के यहॉ पेश किया गया था। एस.डी.ओ. प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान को सापेक्ष रुप से नहीं देखा और ना ही प्रार्थी की याचिका के तथ्यों एव तत्संबधित विधि का विवेचन किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 व 3 को नहीं मानने का कोई उल्लेख अपने अपीलाधीन निर्णय मे नही किया है, और ना हीं उनकी सार्थक विवेचना की है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि अधीनस्थ अधिकरण का सम्पूर्ण आदेश criptic/non speaking है जो किसी भी विधिक दृष्टि से मान्य नहीं है। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय का pagination नहीं किया गया है, जिसे किया जाना विधिक प्रक्रिया के अनुसार आज्ञात्मक है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय 14 पृष्ठों में है, जिसमें 13 ½ पृष्ठों में प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र व उसके जबाब की पुनरावृति की गई है, आदेश मात्र आधे पृष्ठ का है उसमें भी कहीं यह वर्णन नहीं है कि निर्णय किस नियमों के तहत आधारित/ पारित किया गया है। तहत न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों व साक्ष्य का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि यदि तहत न्यायालय द्वारा साक्ष्य को विधि सम्मत तरीके से देखा जाता तो वस्तु स्थिति का पता लगता परन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसा कुछ नहीं है। योग्य अभिभाषक ने अधिनियम 2007 की धारा 3 व 2 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब कि अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रुप से उल्लेख करती है कि अधिनियम 2007 के प्रावधान अन्य अधिनियमों पर ओवर राइडिंग इफेक्ट रखते हैं। प्रार्थी ने तहत प्राधिकरण में पर्याप्त साक्ष्य इस आशय के प्रस्तुत किये हैं कि प्रार्थी को उसकी पत्नी व पुत्र द्वारा पूर्ण रुप से नेगलेक्ट किया हुआ है। मारा पीटा व प्रताडित कर घर से निकाल दिया है परन्तु प्राधिकरण तहत न्यायालय ने मेरी साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया गया और ना ही अपीलाधीन आदेश में इनका कोई उल्लेख किया है, योग्य अभिभाषक का कहना है कि तहत न्यायालय को मेरी साक्ष्य पर विवेचन करना चाहिये था उन्हें अस्वीकार करने का कारण भी निर्णय में अंकित किया जाना चाहिये था परन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं किया और मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

तहत प्राधिकरण में अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक प्रावधानों की पुष्टि में प्रस्तुत निम्न रुलिंग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते बताया कि अपीलाधीन निर्णय में इनका कोई उल्लेख नही किया है जो कि न्यायिक परम्पराओं के प्रतिकूल है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

1—Kirshan v/s Dy Magistrate 2023(4) RCR (civil) 681 Punjab and Haryana H,C.
2- Smt.S.Vanithya v/s Dy. commisssioner Bangaluru (2021)(5) scc 730 Honble s.c.
3- Rakesh soni v/s Smt. Prem lata soni 2020(2) WLC 432(rajasthan High court DB)
4- Permeshwary Devi & other v/s Appellate Authority Punjab and Haryana 20Aug- 2019.
5- Gandhi Mati v/s S.D.M. Madrs High court 24 Jan 2024.
6- Smt. Raksha Veci v/s Deputy Commisssioner cum Distric Magistarte Hoshiarpur and others 2018(4)RCR(civl) 218.
7- Maherndra Kumar v/s Anil Kumar 1 Nov.2017.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि अधिकरण ने अपने निर्णय मे दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने का कथन किया है परन्तु समस्त निर्णय से यह प्रकट नहीं होता कि अधिवक्तागण ने क्या बहस की और किसी को मानने न मानने का कोई कथन नही है और तर्कों को नही मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है इस प्रकार प्रश्नगत निर्णय non application of judicial mind का दोषी है, अधीनस्थ अधिकरण ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि अधिनियम का उद्देश्य प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भरण पोषण दिलवाना है। मूलभूत आवश्यकतायें प्रत्येक व्यक्ति की एक समान नहीं हो सकती हैं। जैसे निवास हेतु स्थान, भोजन, औषधि, वस्तु आदि प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। पक्षकारान ने अपने जन्म से लेकर वाद कारण उत्पन्न होने तक जिस प्रकार का जीवन जिया हैं उसी प्रकार के जीवन हेतु उनकी आवश्यकता ही मूलभूत आवश्यकता है, तहत न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई विचार नहीं कर त्रुटि की है। तहत न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया कि प्रार्थी उस समस्त सम्पत्ति का स्वामी है जो आज रेस्पो0 के आधिपत्य में है। प्रार्थी/अपीलान्ट के पास आज निवास के लिये कोई स्थान नहीं है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट ने कोठी इजलास खास का अपनी पत्नी के हक में दान पत्र इस लिये किया था कि आवश्यकता होने पर रेस्पो0 नम्बर एक अपीलान्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, रेस्पो0 संख्या एक ने भी अपने वचनों एवं आचरण एवं व्यवहार तथा मधुर सम्बन्धों से प्रार्थी अपीलान्ट को इस प्रकार विश्वास दिलाया था परन्तु रेस्पो संख्या एक ने प्रार्थी के विश्वास को धोखा दिया है, यही कारण है कि प्रार्थी/अपीलार्थी दान पत्र को कैंसिल करा पाने का अधिकारी है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि यह सम्पत्ति विवाद भी माना जावे तो यह अधिनियम से कवर होता है। अधीनस्थ अधिकरण का यह कहना कि प्रार्थी पेंशन पाने का अधिकारी है, इस कारण याचिका पोषणीय नहीं है उचित नहीं है क्यों कि प्रार्थी के निवास हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं है व प्रार्थी के स्तर के अनुरुप प्रार्थी के निवास एवं जीवन यापन हेतु पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं है। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह भी जाहिर किया कि

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

तहत न्यायालय ने सम्पत्ति का विवाद बताते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है वह नियमों के खिलाफ है, जब कि अधिनियम 2007 में सम्पत्ति की वापिसी, सम्पत्ति का वैकेसन लीज कैंसिलेशन आदि का विवाद स्पष्ट रुप से अधिनियम की विषय वस्तु है जिसे न्याधिकरण को स्पष्टतः अपने आदेश में तय करना चाहिये था। प्रार्थना पत्र में सम्पत्ति का विवाद पूर्ण रुप से धारा 5 व 23 की परिधि में आता है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने जबाब बहस में बताया कि अभिभाषक रेस्पो. ने केवल रेस्पो. संख्या–1 के बारे में अपनी बहस पक्ष पेश किया है जब कि अपील में रेस्पो. संख्या 2 अनिरुद्ध सिंह की ओर से कोई बहस नहीं की गई है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में WLC 2010 Pag 255. smt Gavra Devi v/s state of Rajasthan and ors. , INSC 2024 pag 677 state Project Director UP Education For all v/s Saroj Maurya & ors., In the High Court of Punjab and Haryana At Chandigarh. CWP No. 14740 of 2019 Decision date 20-8-2019 Parmeshwari Devi and another v/s Appellate Authorty –cum- District Collector Fazilka and others रुलिंग उद्धरत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2024 को निरस्त करने एवं तहत न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना में चाहा गया अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों में बताया कि एस.डी.ओ. प्राधिकरण द्वारा अप्रार्थी / रेस्पो की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों को स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि रेस्पो संख्या 1 श्रीमती दिव्या सिंह अपीलार्थी की पत्नी है और एक वरिष्ठ नागरिक भी है। अपीलार्थी को अपनी पत्नी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र रेस्पो. संख्या 1 पत्नी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जो अधिनियम के तहत मेनटेनिवल नहीं है। कानून के तहत पति पत्नी के मध्य विवाद का निस्तारण इस अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता, भले ही वरिष्ठ नागरिक ही क्यों न हो, इस लिये अधीनस्थ अधिकरण को मूल आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं होने के कारण मूल आवेदन maintainable नहीं होने के कारण तहत न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को अपने भरण पोषण व कल्याण के सबंध में कोई वास्तविक आपत्ति नहीं है, अपितु अपीलार्थी का उद्देश्य महज रेस्पो0 को चल अचल सम्पत्तियों से बेदखल करना एवं प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व व कब्जे की चल अचल सम्पत्तियों को हड़पना है। अपीलार्थी को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारिवारिक न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी, परन्तु जानबूझकर कानून का दुरूपयोग करते हुए सिविल कार्यवाही के सबंध में भरण–पोषण अधिकरण में मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया था

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

जो अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा नियमों के तहत निरस्त एवं खारिज किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो.1 ने वताया कि अपीलार्थी द्वारा मूल आवेदन अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, इस धारा से सवंधित अभिकथन मूल आवेदन में मद नं. 4 में किये गये थे जव कि वास्तविकता यह है कि प्रथमतः तो वरिष्ठ नागरिक एवं पत्नी होने के कारण यह मूल आवेदन रेस्पो0 संख्या 1 के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत मेनटेनिवल ही नहीं था, मूल आवेदन में मद नं. 4 वर्णित सम्पत्ति कोठी इजलास खास को प्रत्यर्थी संख्या एक को दान देते समय अपीलार्थी की आजीवन देखभाल एवं सरसंभाल किये जाने जैसा भी कोई शर्त दान पत्र में अंकित नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में जव दानपत्र में अधिनियम से सबंध रखने जैसी कोई शर्त ही अंकित नहीं है तो इस प्रकार दान दी जा चुकी सम्पत्ति के सबंध में अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इस लिए अपीलार्थी का मूल आवेदन अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भी maintainable नहीं था, इस प्रकार अपीलार्थी किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत अथवा अंतिम अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं था। अपीलार्थी द्वारा सम्पत्ति कोठी इजलास खास स्वयं अपने होश–हवास बदरुस्ती के साथ प्रसन्नचित्त से, बिना किसी नाजायज दबाब के रेस्पो संख्या एक को दान पत्र के माध्यम से दिनांक 27.10.2020 को दान किया जाकर इस दानपत्र को उप पंजीयक भरतपुर के कार्यालय में दिनांक 19.11.2020 को पंजीकृत भी करवा दिया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 23 की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि धारा 23 के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है– पहली तो यह कि सम्पत्ति का अंतरण करते समय भरण–पोषण संबंधी शर्त दस्तावेज में अंकित की गई हो और दूसरी यह कि अंतरण के पश्चात् भरण–पोषण से इन्कार कर दिया गया हो। विचाराधीन प्रकरण में सम्पत्ति कोठी इजलास खास के संबंध में दोनों में कोई भी शर्त पूर्ण नही होती है, अतः मूल आवेदन अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत चलने योग्य ही नहीं था। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर अपने मूल आवेदन एवं इस अपील में इस तथ्य को छिपाया गया है कि अपीलार्थी तीन बार के निर्वाचित सांसद सदस्य, तीन बार के निर्वाचित विधानसभा सदस्य एवं दिसम्बर 2023 तक राजस्थान सरकार में केविनेट मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर स्वयं की आय को भी छिपाया गया है नियमानुसार अपीलार्थी को नियमित रुप से पेंशन राशि रू. लगभग 60000/– प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं जो अपीलार्थी सम्मानजनक जीवनयापन के लिए पूर्णतः पर्याप्त एवं उचित है निर्वाचन के दौरान दिनांक 3.11.2023 को प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वयं अपीलार्थी सैलरी, पेंशन व ब्याज से स्वयं की आय प्रदर्शित करते हुए चल सम्पत्तियों के विवरण में स्वयं के पास 1639446/– रुपये नकद/बैंक एवं 40 लाख रुपये की कार होना भी बताया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. नं. एक का यह भी तर्क है कि किसी न्यायालय द्वारा निर्णय का पेजिंग नहीं किया जाना अथवा आदेश कम पृष्ठों में लिखा जाना उस निर्णय के विरुद्ध अपील का आधार नहीं हो सकता। अधीनस्थ प्राधिकरण ने

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 2 अथवा 3 का उल्लंघन कब और किस प्रकार किया गया है अपीलाधीन आदेश पूर्णत भरण पोषण अधिनियम पर ही आधारित है किसी अन्य अधिनियम पर नहीं।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक ने बताया कि रेस्पो नं. 1 व 2 अपीलार्थी के पत्नी व पुत्र हैं इन्होने अपीलार्थी को ना तो नेग्लक्ट किया गया है ना ही मारा–पीटा गया है, ना ही प्रताड़ित किया गया है और ना ही घर से निकाला गया है। पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद भरण–पोषण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता है। भरण पोषण अधिकरण को पति–पत्नी के मध्य उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारिवारिक न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय के यहॉ चाराजोही करनी चाहिये थी। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपील की मद नं. 8 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि स्वयं अपीलार्थी एक ओर तो इस मद में ''दस्तावेजी साक्ष्य क्या है'' कहकर अधीनस्थ अधिकरण को आक्षेपित करता है वहीं दूसरी ओर अपील की मद नं. 4,6 एवं 9 में स्वयं द्वारा ही साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन करता है अपीलार्थी के दोनों कथन परस्पर विरोधाभासी है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या 1 विरुद्ध maintainable ही नहीं होने के कारण अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णत सही तर्कसंगत एवं न्यायानुकूल है। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट, एवं विभिन्न हाईकोर्ट के निणर्य की SSC Online की साईट से निकाली गई फोटो प्रति 1– 2019 SSC OnLine Del 10996 (2020)205 AIC 579 In the High Court of Delhi at New Delhi. Maya Devi v/s kahesh Kumar and Another CS(os)1502/2009 Decided on October 23, 2019 ,
2- SCC online True Print (2009)I Supreme Court Cases 193, Civil Appeals Nos. 6755-56 of 2008, Decided on Novembr 25 ,2008.
3- SCC online Print 2024 SC42 In The Supreme Court of India, Civil Appeals No. 9695 of 2013 of 2008, Decided on January 12, 2024 Asma Lateef and Another v/s Shabbir Ahmead and Others ,
4- SSC Online print 2018 OnLine Ker 3548 (2018) 4 KLT 841 (2018) 4 KLJ 551 (2019)I HLR 154 In The High Court of Kerala at Ernakulam WP© No. 19870 of 2018, Decided on August 31,2018 Ammini Antony v/s District Collector Kakkanad 682030 and others.

की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया कि विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया, योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा उद्धरत रुलिंग ससम्मान अध्ययन किया गया।

तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण –पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर के न्यायालय में पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2024 को पारित किया है जो इस प्रकार है :–

> ".....अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह दान पत्र को निरस्त कराने एवं पारिवारिक सम्पत्तियों के विवाद निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें.....।"

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से जाहिर है कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण –पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के सुनवाई के दोरान अप्रार्थी/रेस्पो की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश हुआ, जिस पर उभय पक्ष को सुनवाई कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने प्रकरण की गुणवगुण पर विचार किये बिना प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति पर विचार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रुप से निम्न बिन्दु उठाये हैं –

1– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अधिनियम 2007 की धारा 5, 3 व 23 को नहीं मानने का कोई कारण/आधार अपीलाधीन आदेश में नही दिया है।

2– अधिनियम 2007 की धारा 3 तथा धारा 2 जो कि अन्य अधिनियमों पर ओवर राईडिंग इफेक्ट रखते हैं पर अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

3– प्रार्थी को उसकी पत्नी व पुत्र ने मारा पीटा व प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया है– इस पर तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है।

4–प्रार्थी के जीवन यापन उसकी आवश्यकता, सुरक्षा एवं रहने के लिये निवास व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख आदेश में नही दिया है।

5– प्रार्थी द्वारा इजलास खास कोठी के किये दान पत्र केन्सिल करने का कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नही है।

.....8

जिला कलक्टर
भरतपुर

6— पक्षकारान के बीच सम्पत्ति आदि का विवाद अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 में आने के कारण, तहत न्यायालय को विचार करना चाहिये था।

सर्वप्रथम हमने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 व 23 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया जो इस प्रकार है–

धारा 5– Application for maintenace - धारा 5 में भरण पोषण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कार्यवाही का उल्लेख किया गया है।

अपीलान्ट/प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में आता है और प्रार्थी ने अधिनियम धारा–5 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत किया है।

अधिनियम की धारा 23 में ये प्रावधान दिये गये हैं:–

Transfer of property to be void in certain circumstances :-

(1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or cocercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the Tribunal.

(2) where any senior citizen has a right to receive maintenace out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced is gratuitous, but not against the transferee for consideration and without notice of right .

(3) If any senior citizen is incapable of enforcing the rights under sub sections (1) and(2) acton may be taken on his behalf by any of the organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5.

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा –4 में स्पष्ट है कि –

"....(1)कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अन्तर्गत माता–पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं..... ।"

ऐसे व्यक्तियों को धारा 5 के तहत आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।

.....9

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलान्ट/प्रार्थी ने धारा 5 व 23 के तहत आवेदन किया है। अपीलान्ट प्रार्थी ने तहत न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थन पत्र की मद नं. 5 अप्रार्थी/रेस्पो0 की आय के स्त्रोत का अंकन करते हुये अंकित किया है कि ".....प्रार्थी अपनी आय से सम्मान व सुविधा पूर्वक व पूर्वानुसार जीवन यापन में असमर्थ है जब कि अप्रार्थीगण आवश्यकता से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से 500000/– रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकारी है.....।"

दौराने बहस योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी/अपीलार्थी की पेशंन से आय लगभग 60000/– प्रतिमाह प्राप्त होना बताया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट ने इसका कोई विरोध नहीं किया है, यानि प्रार्थी/अपीलार्थी पेशंन से लगभग 60000/– प्रति माह पेशंन राशि प्राप्त कर रहा है। अब प्रार्थी का यह कहना कि आय से सम्मान व सुविधा पूर्वक व पूर्वानुसार जीवन यापन में असमर्थ है जबकि अप्रार्थीगण आवश्यकता से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से 500000/– रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण राशि रेस्पो0 से दिलाई जावे।

इस सम्बन्ध में अधिनियम 2007 की धारा–9 में दिये गये प्रावधान पर विचार किया गया जो इस प्रकार है :–

Sec- 9 (2) Order of maintenance-

"The maximum maintenance allowance which may be ordered by such Tribunal shall be such as may be prescribed by the State Government which shall not exceed ten thousand rupees per month."

इस प्रकार अधिनियम में दिये गये प्रावधान में भरण पोषण राशि 10000/– अधिकतम निर्धारित की गई। जब कि प्रार्थी के पास पेंशन से प्राप्त राशि को मध्य नजर रखते हुये भरण पोषण राशि पाने का हकदार नहीं रहता है।

योग्य अभिभाषक का यह तर्क कि सम्पत्ति कोठी इजलास खास के किये दान पत्र को अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कैंसिल किये जाने का है, स्वीकार योग्य नहीं। क्यों कि अपीलान्ट ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिस दस्तावेज से उसके मौखिक कथनों की पुष्टी होती है।

जैसा कि – अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) में स्पष्ट है कि "जहॉ कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात अपनी सम्पत्ति का दान के रुप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुये किया है कि अंतरिती, अंतरक को बुनियादी सुख–सुविधायें और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख–सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रतीडन या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।"

.....10

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से तहत न्यायालय में प्रस्तुत दान पत्र में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं है। सम्पत्तियो के सम्बन्ध के विवाद के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। विचाराधीन प्रकरण के contents अलग होने से योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत रुलिंग इस प्रकरण चस्पा नहीं होती हैं। जहॉ तक प्रश्न अपीलान्ट की वीमारी एवं स्वास्थ्य जांच, औषधि, भोजन, भरण पोषण, वस्त्र रहने के लिये निवास का है जिनकी एक व्यक्ति को वृद्धावस्था में मूल भूत जरुरत होती है, चूँकि रेस्पो. नं. एक अपीलांट की पत्नी है अपितु स्वयं वरिष्ठ नागरिक भी हैं। वृद्धावस्था में माता पिता की वीमारी एवं स्वास्थ्य जांच में देखभाल करने, भरण–पोषण एवं रहने के लिये निवास की व्यवस्था करने का फर्ज पुत्र का होता है।

अपीलान्ट की आयु और वृद्धावस्था को मध्येनजर रखते हुये, रेस्पो. संख्या–2 अनिरुद्ध सिंह जो कि अपीलान्ट के पुत्र भी हैं को पावन्द किया जाना उचित पाते हैं कि वे अपने पिता अपीलान्ट की वृद्धावस्था में माता पिता की वीमारी एवं स्वास्थ्य जांच में देखभाल करेगें, भरण –पोषण एवं रहने के लिये निवास की व्यवस्था के साथ सद्भावना पूर्वक व्यवहार करेंगे, गाली गलोंच नहीं करेंगे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये रेस्पो. संख्या–2 अनिरुद्ध सिंह जो कि अपीलान्ट के पुत्र भी हैं को पावन्द किया जाता हैं कि वे अपने पिता अपीलान्ट की वृद्धावस्था में (माता पिता) की वीमारी में औषधि एवं स्वास्थ्य जांच, में देखभाल करेगें, भरण–पोषण एवं रहने के लिये निवास की व्यवस्था के साथ गाली गलोंच नहीं करेंगे। मेरी भी विनम्र राय है कि परिवारीजन सदभावनापूर्ण एवं मृदु व्यवहार रखते हुये जीवन निर्वहन करेंगें। अपीलाधीन आदेश का शेष आदेश यथा दान पत्र को निरस्त कराने एवं पारिवारिक सम्पतियों के विवाद निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने का आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर